

आदेश

मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में वर्तमान विभागीय अधिनियमों/नियमों में संशोधन करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2014 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में वन विभाग में प्रचलित अधिनियमों/नियमों की समीक्षा/परीक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राज० जयपुर	सदस्य
6-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय, राज०, जयपुर	सदस्य
7-	अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.), राज० जयपुर	सदस्य
8-	मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा), राज० जयपुर	सदस्य
9-	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर	सदस्य
10-	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सदस्य
11	उप वन संरक्षक (वादकरण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सदस्य सचिव

मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नानुसार क्रमबद्ध रूप से निर्णय की अनुपालना कमेटी द्वारा सुनिश्चित की जानी है:-

- 1-Department should inventorize all the Acts/Rules which are still operative in the department.
- 2-After the inventorization of the Acts/Rules the following steps to be taken
 - (a) the Acts/Rules not needed are to be repealed and denotified.
 - (b) consolidation of the Acts/Rules needed so that all the amendments are incorporated with the principal Acts/Rules and reprint available
- 3-The consolidated Acts/Rules should be digitized and put on the website.
- 4-Deputy Secretary, Forest may accordingly instruct PCCF to depute some team of officers to do the job in a timely way and report to the State Government from time to time about the progress.

उपरोक्त गठित कमेटी वन विभाग से संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचना/परिपत्र/आदेश एवं प्रक्रियाओं में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित है अथवा प्रचलन से बाहर हो गये हैं, उन्हें विलोपित करने अथवा उनमें प्रस्तावित आवश्यक संशोधन करने हेतु समीक्षा/परीक्षण अपनी उपरान्त रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। विभाग में प्रचलित अधिनियमों/नियमों की सूची संलग्न है। संलग्न: आदेशानुसार

आज्ञा से,

४

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HOFF),
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 23.2.2015

क्रमांक एफ 16 (16)2015/वसु/प्रमुवस/ 708-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज० जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राज० जयपुर।
- 3- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
- 4-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर
- 5-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान, जयपुर।
- 6-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राज० जयपुर।
- 7- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय, राज०, जयपुर।
- 8-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.), राज० जयपुर।
- 9- मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा), राज० जयपुर।
- 10-मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
- 11- वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।
- 12- उप वन संरक्षक (वादकरण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।

18-गार्ड फाईल।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(टी.आर.ई.ई.),
राजस्थान, जयपुर